

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

जगदीश बनाम विद्यार्थी
 किस्म मुकदमा २१२ RTA मु.नं. 113. वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
06 ⁰⁸ / ₂₅	<p>वकील प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 28.08.2025 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
28 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अपनी पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. दि. 25⁰⁸/₂₅ का पेश हो।</p>
28/08/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काय में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/08/25 को पेश होगी</p>
28 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश (3) वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण द्वारा 23/08/25 न्यायालय लाने के वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण लाने को कर कर कावाग लाने के वाक्य की अनुपस्थिति पर 28/08/25 को प्रार्थीगण पेश करेगी। न्यायालय हाजा ली गई। पत्रावली 2 वकील पेश करे के तलबी रिपोर्ट पेश की पत्रावली पेश करे के तलबी रिपोर्ट पेश की</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद जिला-सीकर</p>

